कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर (छ0ग0)

क्रमांक/400/जि0पं0/अधी0/स्था0/2025, जगदलपुर दिनांक 07 मार्च 2025

मिशन संचालक, विकास आयुक्त कार्यालय SRLM प्रकोष्ठ विकास भवन, सेक्टर 19, द्वितीय तल, नार्थ ब्लाक, नवा रायपुर, अटल नगर, छ0ग0 शासन का आदेश क्रमांक/3357/वि–6/NRLM/HR&A/2025 रायपुर दिनांक 17–01–2025 में निहित निर्देशानुसार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान" के अन्तर्गत उनके सम्मुख दर्शाये विवरण अनुसार संविदा नियुक्ति (निश्चित वेतन) पर निर्धारित प्रारूप में कम्प्युटर/टाईपराईटर अंकित अथवा स्पष्ट अक्षरों में हाथ से भरा हुआ आवेदन केवल **रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट** के माध्यम से **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, बस्तर जिला, जगदलपुर (छ0ग0) के पते पर निर्धारित अंतिम तिथि 24/03/2025 तक आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा।**

जिला बस्तर हेतु (त्यागपत्र से रिक्त एवं बैकलॉग पद)

क	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित					अन्य पिछड़ा वर्ग					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					महायोग				
			मुक्त	महि.	विक.	भू0सै0	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू0सै0	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू0सै0	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू0सै0	योग	मुक्त	महि.	विक.	भू0सै0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	2
2	क्षेत्रीय समन्वयक	8	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	2	1	5	2	3	2	1	8
3	लेखापाल	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	-	3
4	लेखा सह एसआईएस सहायक	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2
5	मृत्य	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	योग	16	4	1	-	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	5	1	10	6	4	5	1	16

दिव्यांगताः– वि0ख0 परियोजना प्रबंधक हेतु अजजा अस्थि। क्षेत्रीय समन्वयक हेतु अजजा अस्थि एवं दृष्टि। लेखापाल हेतु अजजा अस्थि एवं लेखा सह एमआईएस हेतु अजजा अस्थि आरक्षित है।

ब/ पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण–

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	2	3	4	5	
1	विकासखण्ड परियोजना प्रबंधक	39,875	शिक्षा – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर/समकक्ष उपाधि अनुभव – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखण्ड/क्लस्टर स्तर के पद का न्यूनतम 02 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय/ शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए अतिरिक्त 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				साक्षात्कार	10

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	2	3	4	5	
2	क्षेत्रीय समन्वयक	26,490	**शिक्षा** – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट। **अनुभव** – स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में गरीबी उन्नमूलन/आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 01 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय/ शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए अतिरिक्त 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				लिखित/कौशल परीक्षा	10
3	लेखापाल	23,350	**शिक्षा** – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट। **अनुभव** – स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए अतिरिक्त 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				कौशल परीक्षा	10
4	लेखा सह एम.आई. एस. सहायक	23,350	**शिक्षा**– 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/ विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट। **अनुभव** – स्नातक उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय/ अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	35
				बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए अतिरिक्त 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				कौशल परीक्षा	10

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रू. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	2	3	4	5	
5	भृत्य	14,400	**शिक्षा** – मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण। **अनुभव** – न्यूनतम एक वर्ष का भृत्य का अनुभव अनिवार्य (शासकीय/अर्द्धशासकीय/ शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्था से अनुभव)।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	85
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए अतिरिक्त 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05

नियम एवं शर्तेः–

1. एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2025 के आधार पर की जायेगी।
3. चुंकि उपरोक्त दर्शित पद मैदानी कार्यालय के लिये है, अतः 100 प्रतिशत दिव्यांगता मान्य नही होगा। उपरोक्त दिव्यांगता पदों हेतु दर्शित प्रवर्ग के उम्मीदवार नही मिलने की स्थिति में उसी प्रवर्ग से अन्य दिव्यांग को वरीयता के आधार पर पदों की पूर्ति की जावेगी।
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
5. समस्त प्रमाण–पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन–पत्र स्वीकार्य नहीं किया जावेगा।
6. अनुभव प्रमाण–पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर–शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे। अनुभव का लाभ लेने हेतु नियुक्ति आदेश संलग्न किया जाना अनुभव अंक प्रदान के संबंध में कम से कम समान पद समान वेतनमान पर कार्य अनुभव का ही अंक प्रदान किया जावेगा, अन्यथा की स्थिति में अनुभव का लाभ प्रदान नही किया जावेगा।
7. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
8. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
9. शासकीय/गैर–शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।
10. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
11. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उक्त संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी।
12. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।
13. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

14. पदों की संख्या में परिवर्तनीय है।

15. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

16. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

17. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ. 9–1/2012/1–3 दिनांक– 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होंगी।

18. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

19. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

20. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

21. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

22. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति को होगा।

23. आवेदन पत्र के साथ 9X4" साईज का दो लिफाफे जिसमें प्रत्येक के लिए 22–22 रूपये का डाक टिकट सहित आवेदक का वर्तमान पता लिखा हुआ हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

24. **निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरान्त अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति के लिए जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया जावेगा तद्उपरान्त पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 1:10 के मान से लिखित/कौशल परीक्षा के लिए बुलावा पत्र प्रेषित किया जावेगा।**

25. उक्त विज्ञापन/नियुक्ति आरक्षण के संबंध में मान0 उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर रिट पिटिशन के अध्याधीन रहेगा, एवं उक्ताशय के संबंध में पारित आदेश नियुक्त उम्मीदवारों पर बंधनकारी रहेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय पर जिला पंचायत बस्तर के सूचना पटल पर या www.bastar.gov.in पर देखी जा सकती है ।

कलेक्टर
जिला बस्तर

कार्यालय जिला पंचायत –बस्तर (छत्तीसगढ)
छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत

संविदा भर्ती

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत–बस्तर (छ.ग.)
पिनकोड– 494001

आवेदक का अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो।

आवेदित पद का नामः ....

1. अभ्यर्थी का नाम– (हिन्दी में) ....
(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) ....
2. पिता/पति का नाम– (हिन्दी में)..
3. पत्राचार का पता – ....
....
....(मो.नं.)..ईमेल..........................
4. स्थायी पता – ....
....
5. जन्म तिथि (अंको में)

दिनांक 01.01.2025 की स्थिति में आयु– वर्ष....................माह....................दिन.............
(हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें).
6. लिंग (पुरूष/महिला) – ....
7. जाति (अनु. जाति/अनु. जनजाति/अ.पि.व./सामान्य) उल्लेख करें –......................................
(आरक्षित प्रवर्ग का होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
8. क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है? – ....
9. शैक्षणिक योग्यता – (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	डिग्री/ डिप्लोमा	बोर्ड/विवि	पूर्णाक	प्राप्तांक	%

10. नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें :–

क्र.	कार्यरत पद का नाम	संस्था का नाम/पूर्ण पता	कार्यरत अवधि कब से कब तक	जारीकर्ता का पदनाम	क्रमांक/दिनांक
1			.... से ....तक (कुल अवधि)		
2			.... से ....तक (कुल अवधि)		
3			.... से ....तक (कुल अवधि)		
4			.... से ....तक (कुल अवधि)		
5			.... से ....तक (कुल अवधि)		

11. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) – ....

12. यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि – ....बच्चों की संख्या –........................

घोषणा पत्र

मैंएतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां सत्य हैं। किसी भी स्तर पर जानकारियां असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन/सेवायें निरस्त कर मुझ पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :– ....
दिनांक :– ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

नाम –............................

नोट – संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को निम्नांकित क्रम में रखा जावे।

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची –

1. 5वीं एवं 8वीं का प्रमाण पत्र (केवल भृत्य पद हेतु)
2. हाई स्कूल का प्रमाण पत्र
3. हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रमाण पत्र
4. स्नातकका प्रमाण पत्र
5. कम्प्यूटर डिग्री/ डिप्लोमा का प्रमाण पत्र
6. अनुभव/अनापत्तिका प्रमाण पत्र
7. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
8. छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र।
9. अन्य प्रगाण पत्र।